International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

सीमांत एवं लघु कृषक परिवार में महिलाओं की स्थिति: मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखण्ड के विशेष संदर्भ में

डॉ. भगवान राय
पूर्व शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author: * डॉ. भगवान राय

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22131045

सारांश

यह शोध-पत्र मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखण्ड में सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करता है। विश्लेषण का आधार भारत की जनगणना 2011 के जनसांख्यिकीय एवं कार्यबल आँकड़े, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्रकाशित कृषि-परिवेश संबंधी सूचनाएँ तथा जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम से उपलब्ध संस्थागत प्रमाण हैं। वर्णनात्मक और तुलनात्मक विधि के माध्यम से साक्षरता, कार्य भागीदारी, मुख्य एवं सीमांत कार्य-अवधि, कृषक और कृषि श्रमिक की व्यावसायिक स्थिति, कृषि पर निर्भरता तथा सामूहिक आजीविका अवसरों का अध्ययन किया गया। परिणाम बताते हैं कि महिला साक्षरता दर 55.03 प्रतिशत और महिला कार्य भागीदारी दर 15.21 प्रतिशत है, जो पुरुषों की तुलना में क्रमशः 18.78 और 32.19 प्रतिशत अंक कम है। कुल 23,961 महिला कामगारों में 62.79 प्रतिशत सीमांत कामगार हैं। महिला कृषि कामगारों की संख्या 17,313 है, जिनमें 78.12 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 21.88 प्रतिशत कृषक हैं। इससे महिला श्रम की कृषि पर उच्च निर्भरता तथा अपेक्षाकृत अस्थिर और मजदूरी-आधारित कार्य स्थिति सामने आती है। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि जनगणना का सीमांत कामगार जोत-आकार आधारित सीमांत कृषक नहीं है। महिला-विशिष्ट जोत आकार, भूमि स्वामित्व और पारिवारिक निर्णय से संबंधित स्थानीय सूक्ष्म आँकड़ों की अनुपलब्धता प्रमुख सीमा है। नीतिगत रूप से भूमि-अधिकार अभिलेखन, साक्षरता, कौशल, कृषि प्रसार, ऋण, स्वयं सहायता समूह संबंध और महिला की निर्णय-क्षमता को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 11-07-2026
- **Accepted:** 22-08-2026
- **Published:** 27-08-2026
- **IJCRM:** 5(4); 2026: 943-951
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

राय भ. सीमांत एवं लघु कृषक परिवार में महिलाओं की स्थिति: मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखण्ड के विशेष संदर्भ में. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4):943-951.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: महिला कृषक, सीमांत एवं लघु कृषक, कृषि श्रम, महिला सशक्तिकरण, सरैया, मुजफ्फरपुर, जीविका।

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

आदिदेव भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं है। वे बीज चयन, रोपनी, निराई, कटाई, पशुपालन, चारा प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, घरेलू भंडारण तथा परिवार के देखभाल कार्यों में एक साथ योगदान करती हैं। इसके बावजूद "किसान" की सामाजिक और प्रशासनिक पहचान प्रायः भूमि के स्वामित्व, पट्टा या परिवार के पुरुष मुखिया से जुड़ी रहती है। फलस्वरूप महिला द्वारा किया गया श्रम दिखाई तो देता है, पर उसकी उत्पादक पहचान, आय पर नियंत्रण और संस्थागत अधिकार अक्सर सीमित रहते हैं। राव (2006) ने भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा के बीच गहरे संबंध की ओर ध्यान दिलाया, जबकि अल्कायर एवं अन्य (2013) ने कृषि में सशक्तिकरण को उत्पादन, संसाधन, आय, नेतृत्व और समय के बहुआयामी ढाँचे में समझने की पद्धति विकसित की।

सीमांत और लघु जोत वाले परिवारों में संसाधनों की कमी, बाजार जोखिम, छोटे उत्पादन पैमाने, ऋण की सीमित उपलब्धता और पारिवारिक श्रम पर निर्भरता अधिक हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं का कार्यभार बढ़ता है, पर निर्णय में उनकी भागीदारी उसी अनुपात में बढ़े, यह आवश्यक नहीं है। कृषि के स्त्रीकरण पर किए गए अध्ययनों ने भी चेताया है कि महिला भागीदारी में वृद्धि को स्वतः सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता; यह पुरुष पलायन, आय संकट और श्रम की विवशता से भी जुड़ सकती है (पटनायक एवं अन्य, 2018; पटनायक एवं लाहिड़ी-दत्त, 2020)। अतः स्थानीय स्तर पर महिला की स्थिति को केवल कामगार संख्या से नहीं, बल्कि कार्य-अवधि, व्यावसायिक श्रेणी, शिक्षा, संसाधन और संस्थागत पहुँच के संयुक्त संदर्भ में पढ़ना आवश्यक है।

सरैया प्रखण्ड कृषि-प्रधान ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ खेती, कृषि मजदूरी और पशुपालन आजीविका के प्रमुख आधार हैं। संलग्न आँकड़ा-संग्रह से उपलब्ध आधिकारिक आँकड़े महिला की स्थिति के कई मापनीय पक्ष सामने रखते हैं। इनमें जनसंख्या और लिंगानुपात, साक्षरता, कार्य भागीदारी, मुख्य तथा सीमांत कामगार, कृषक, कृषि श्रमिक, कृषि पर निर्भरता, भूमि उपयोग, सिंचाई और जीविका के सामूहिक आजीविका कार्यक्रम शामिल हैं। यह शोध-पत्र इन्हीं संकेतकों का संयोजित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें कोई कृत्रिम या अनुमानित आँकड़ा प्रयुक्त नहीं किया गया है। जहाँ महिला सीमांत और लघु परिचालन जोतें का सरैया-स्तरीय परस्पर वर्गीकृत सारणी उपलब्ध नहीं है, वहाँ उस कमी को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।

2. समस्या का कथन एवं अध्ययन का महत्व

महिला की कृषि भूमिका और उसकी औपचारिक पहचान के बीच अंतर इस अध्ययन की केंद्रीय समस्या है। सरैया में महिला कार्य भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है, फिर भी कामगार के रूप में दर्ज महिलाओं में कृषि का हिस्सा बहुत अधिक है। इससे एक साथ दो स्थितियाँ दिखाई देती हैं—पहली, अनेक महिलाओं का काम आर्थिक गतिविधि के रूप में दर्ज नहीं हो पाता; दूसरी, दर्ज महिला कामगारों के रोजगार विकल्प कृषि तक केंद्रित हैं। कृषि के भीतर भी कृषक की अपेक्षा कृषि श्रमिक की हिस्सेदारी अधिक होना महिला की भूमि, उत्पादन-संसाधन और आय-संबंधी स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह व्यावसायिक स्थिति भूमि स्वामित्व का प्रत्यक्ष माप नहीं है, किंतु स्थानीय श्रम संरचना और आर्थिक निर्भरता को समझने के लिए उपयोगी संकेतक है।

अध्ययन का महत्व तीन स्तरों पर है। सामाजिक स्तर पर यह साक्षरता और कार्य भागीदारी के लैंगिक अंतर को उजागर करता है। आर्थिक स्तर पर यह महिला कामगारों की कार्य-अवधि और कृषि मजदूरी पर निर्भरता को रेखांकित करता है। संस्थागत स्तर पर यह स्वयं सहायता समूह, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे कार्यक्रमों की स्थानीय उपस्थिति को संभावित अवसर के रूप में रखता है, न कि बिना प्रभाव संबंधी आँकड़े के सफलता के प्रमाण के रूप में। इस प्रकार शोध स्थानीय नीति, प्राथमिक सर्वेक्षण और कार्यक्रम नियोजन के लिए प्रमाण-आधारित आधार प्रदान करता है।

3. अध्ययन क्षेत्र और अवधारणात्मक आधार

3.1 सरैया प्रखण्ड का संक्षिप्त परिचय

सरैया मुजफ्फरपुर जिले का एक सामुदायिक विकास प्रखण्ड है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ 61,348 परिवार और 331,651 जनसंख्या दर्ज है, जिसमें 174,162 पुरुष तथा 157,489 महिलाएँ हैं। गणना से लिंगानुपात लगभग 904 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष प्राप्त होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के विवरण में कृषि-परिवेश के अंतर्गत 15,193 हेक्टेयर शुद्ध बोया क्षेत्र, 159.18 प्रतिशत फसल तीव्रता और 9,874.15 हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र दर्ज है। बलुई दोमट मिट्टी और बहुफसली कृषि की उपस्थिति स्थानीय श्रम-मांग के संदर्भ को समझने में सहायक है। जनगणना अरी और केंद्रीय भूजल बोर्ड भौगोलिक क्षेत्र अलग प्रतिवेदन परिभाषाएँ पर आधारित हैं; इसलिए उन्हें एक-दूसरे का प्रत्यक्ष विकल्प नहीं माना गया है।

3.2 प्रमुख अवधारणाएँ

इस अध्ययन में "कृषक" जनगणना की व्यावसायिक श्रेणी है, जो खेती में लगे कामगार को दर्शाती है; यह भूमि के कानूनी स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। "कृषि श्रमिक" वह कामगार है जो अन्य व्यक्ति की भूमि पर मजदूरी के लिए कृषि कार्य करता है। "मुख्य कामगार" संदर्भ वर्ष में छह माह या उससे अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति है, जबकि "सीमांत कामगार" छह माह से कम कार्य करने वाला व्यक्ति है। दूसरी ओर "सीमांत कृषक" सामान्यतः एक हेक्टेयर से कम परिचालन जोत और "लघु कृषक" एक से दो हेक्टेयर परिचालन जोत से संबंधित अवधारणा है। दोनों वर्गीकरणों को मिलाना तथ्यात्मक त्रुटि होगी।

महिला की स्थिति को इस शोध में चार परस्पर संबंधित आयामों में समझा गया है: मानव पूँजी के रूप में साक्षरता; आर्थिक दृश्यता के रूप में कार्य भागीदारी; कार्य की निरंतरता और व्यावसायिक स्थान; तथा सामूहिकता और संस्थागत पहुँच। कृषि में महिला सशक्तिकरण सूचकांक और परियोजना-स्तरीय कृषि महिला सशक्तिकरण सूचकांक साहित्य यह बताता है कि सशक्तिकरण केवल रोजगार प्राप्त होने से नहीं बनता, बल्कि उत्पादन निर्णय, संसाधन पर अधिकार, आय के उपयोग, नेतृत्व और समय-भार से निर्मित होता है (अल्कायर एवं अन्य, 2013; मलापिट एवं अन्य, 2019; क्रिसम्बिंग एवं अन्य, 2023)। उपलब्ध द्वितीयक आँकड़े इन सभी आयामों का पूर्ण मापन नहीं करता, किंतु स्थानीय स्थिति के प्रमाणित संकेत प्रस्तुत करता है।

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. साहित्य समीक्षा

4.1 कृषि में महिला श्रम और स्त्रीकरण

भारत में कृषि के स्त्रीकरण पर साहित्य दो अलग प्रक्रियाओं की पहचान करता है। एक ओर महिलाएँ कृषि उत्पादन की वास्तविक जिम्मेदारी अधिक संभाल रही हैं; दूसरी ओर उनकी भूमिका संकट-प्रेरित भागीदारी, कम मजदूरी और अनिश्चित कार्य से जुड़ी रह सकती है। पटनायक एवं अन्य (2018) ने इसे "कृषि-संकट का स्त्रीकरण" की संभावना से जोड़ा। पटनायक एवं लाहिड़ी-दत्त (2020) ने ग्रामीण भूमि-धारक परिवारों के तुलनात्मक अध्ययन में महिला कृषि भागीदारी को भूमि, घरेलू संरचना, पुरुष पलायन और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित पाया। डॉस एवं अन्य (2018) ने महिलाओं और कृषि से संबंधित व्यापक धारणाओं को संदर्भ-संवेदी प्रमाण से परखने की आवश्यकता बताई। इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि महिला कामगारों की बढ़ी हुई संख्या को स्वायत्तता, स्वामित्व या बेहतर रोजगार का पर्याय नहीं बनाया जा सकता।

सरैया की स्थिति में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है। महिला कार्य भागीदारी कम होने के बावजूद दर्ज महिला कामगारों का बड़ा हिस्सा कृषि में है। इसका अर्थ यह नहीं कि शेष महिलाएँ कोई उत्पादक काम नहीं करतीं; पारिवारिक उत्पादन, पशुपालन, अवैतनिक पारिवारिक श्रम और देखभाल कार्य की कई गतिविधियाँ कामगार वर्गीकरण में सीमित रूप से दिखाई दे सकती हैं। इसलिए जनगणना आँकड़ों की व्याख्या दर्ज आर्थिक गतिविधि के रूप में की गई है, न कि महिलाओं के कुल कार्यभार के पूर्ण माप के रूप में।

4.2 भूमि अधिकार, कृषक पहचान और निर्णय-क्षमता

भूमि पर अधिकार महिला की सौदेबाजी क्षमता, सुरक्षा और निवेश क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अरुण (1999) ने कृषि में महिला की भूमिका पर भूमि स्वामित्व के अंतर को रेखांकित किया, जबकि केलकर अनद झा (2016) ने कृषि भूमि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में महिला की क्रियाशील सामर्थ्य पर बल दिया। अंकीय भूमि अभिलेखों पर आधारित अध्ययन ने भारत में महिला भूमि स्वामित्व की सीमित परंतु क्षेत्रीय रूप से भिन्न स्थिति दिखाई (जैन एवं अन्य, 2023)। दागदेवीरेन एवं ओस्टरबान (2022) ने यह स्पष्ट किया कि औपचारिक अधिकार होने और उनका प्रभावी उपयोग करने के बीच भी लैंगिक अंतर रह सकता है।

अग्रवाल एवं महेश (2023) ने भूमि-मालिक के लिंग, स्वयं खेती और कृषि उत्पादकता के संबंध का विश्लेषण किया। हैरिस-फ्राई एवं अन्य (2020) ने भूमि स्वामित्व से पोषण तक कृषि और सशक्तिकरण मार्ग की चर्चा की। इन अध्ययनों का संदेश यह है कि कृषक की व्यावसायिक प्रविष्टि और भूमि पर नियंत्रण अलग संकेतक हैं। सरैया आँकड़ा-संग्रह में महिला कृषक की संख्या उपलब्ध है, पर महिला परिचालन जोतें की आकार-श्रेणी और स्वामित्व आँकड़े उपलब्ध नहीं है। इसलिए वर्तमान शोध महिला कृषक संख्या को भूमि स्वामित्व का प्रतिनिधि संकेतक नहीं मानता।

4.3 महिला सशक्तिकरण का मापन

कृषि में महिला सशक्तिकरण सूचकांक ने कृषि में सशक्तिकरण को बहुआयामी और मापन योग्य अवधारणा के रूप में स्थापित किया (अल्कायर एवं अन्य, 2013)। परियोजना-स्तरीय कृषि महिला सशक्तिकरण सूचकांक ने परियोजना स्तर पर आंतरिक, साधनात्मक और सामूहिक स्वायत्तता को अधिक स्पष्ट रूप से समाहित किया (मलापिट एवं अन्य, 2019)। भारत के संदर्भ में गुप्ता एवं अन्य (2017) ने बाजारोन्मुखता और महिला सशक्तिकरण के संबंध को परखा, जबकि गुप्ता एवं अन्य (2019) ने देश-विशिष्ट अनुकूलन में संदर्भ और संकेतक व्याख्या के महत्व को दिखाया। क्रिसम्बिंग एवं अन्य (2023) ने नवीन मापन अनुभवों के आधार पर यह रेखांकित किया कि मात्रात्मक प्राप्तांक के साथ स्थानीय सामाजिक संरचना और गुणात्मक प्रमाण भी आवश्यक हैं।

सरैया के द्वितीयक आँकड़ा-संग्रह में परिवार निर्णय-निर्माण, समय उपयोग, गतिशीलता और आय नियंत्रण के सूक्ष्म-स्तरीय चर अनुपलब्ध हैं। अतः यहाँ सशक्तिकरण प्राप्तांक निर्मित नहीं किया गया है। साक्षरता, कामगार स्थिति, व्यावसायिक संरचना और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की उपस्थिति को केवल संबंधित संकेतक माना गया है। यह सावधानी कृत्रिम सूचकांक बनाने से बचाती है और उपलब्ध प्रमाण की सीमा के भीतर निष्कर्ष रखती है।

4.4 स्वयं सहायता समूह और सामूहिक स्वायत्तता

महिला स्वयं सहायता समूहों पर भारतीय साहित्य सूचना, ऋण, सामाजिक संजाल और निर्णय-क्षमता के संभावित प्रभावों को दर्शाता है। रघुनाथन एवं अन्य (2019) ने स्वयं सहायता समूह भागीदारी को सूचना, कृषि व्यवहार और परिवार निर्णय-निर्माण से जोड़ा। कुमार एवं अन्य (2021) ने सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रमाण प्रस्तुत किए। पद्मजा एवं अन्य (2023) ने कृषि संबंधी परिवार के भीतर निर्णय में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का विश्लेषण किया, जबकि दए बोएफ एवं अन्य (2021) ने बीज व्यवस्था में समूहों के सामाजिक पूँजी की उपयोगिता बताई।

पुराने और व्यापक प्रभाव-अध्ययनों में डीनिंगर अनद लियू (2013), स्वेन अनद वालेंटिन (2009, 2017), देसाई अनद जोशी (2014) तथा देशपांडे अनद खन्ना (2021) ने स्वयं सहायता समूह प्रतिमान के आर्थिक-सामाजिक प्रभाव, क्षेत्रीय भिन्नताएँ और सामाजिक पूँजी की जाँच की। निष्कर्ष सामान्यतः संभावनाएँ दिखाते हैं, पर कार्यक्रम अभिकल्प, सदस्यता अवधि, स्थानीय संस्थागत गुणवत्ता और परिवार के सामाजिक संबंधों के अनुसार परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए सरैया में जीविका, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना या लैंगिक संवेदनशीलता की उपस्थिति को परिणाम का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना गया है। उपलब्ध कार्यक्रम अभिलेख केवल संस्थागत संदर्भ और भावी मूल्यांकन का आधार देते हैं।

5. अध्ययन के उद्देश्य और शोध प्रश्न

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सरैया प्रखण्ड में उपलब्ध आधिकारिक द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों से संबंधित व्यापक कृषि संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का वर्णनात्मक विश्लेषण करना है। विशिष्ट उद्देश्य हैं: महिला-पुरुष साक्षरता और कार्य भागीदारी की तुलना; महिला कामगारों में मुख्य एवं सीमांत कार्य-अवधि की संरचना; महिला कृषकों और कृषि श्रमिकों की संख्या एवं अनुपात; महिला रोजगार में कृषि की निर्भरता; स्थानीय कृषि-परिवेश और स्वयं सहायता समूह/महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना अवसरों की व्याख्या; तथा महिला-विशिष्ट जोत-आकार संबंधी आँकड़ा-अभाव की पहचान।

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

इन उद्देश्यों से पाँच प्रश्न निकलते हैं: सरैया में शिक्षा और दर्ज आर्थिक भागीदारी का लैंगिक अंतर कितना है? महिला कामगारों के रोजगार की अवधि किस प्रकार विभाजित है? कृषि के भीतर महिला की स्थिति कृषक और कृषि श्रमिक के बीच कैसी है? स्थानीय कृषि-गहनता और सिंचाई का संदर्भ महिला श्रम की व्याख्या में क्या संकेत देता है? स्वयं सहायता समूह और महिला-केंद्रित कार्यक्रम कौन-से संस्थागत अवसर उपलब्ध कराते हैं और उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए कौन-से अतिरिक्त आँकड़े आवश्यक हैं?

6. शोध पद्धति

6.1 शोध अभिकल्प और स्रोत

यह अध्ययन वर्णनात्मक द्वितीयक-आँकड़ा शोध अभिकल्प पर आधारित है। मुख्य मात्रात्मक आधार जनगणना ओफ भारत 2011 का सरैया सामुदायिक विकास प्रखण्ड स्तर का जनसांख्यिकीय और कामगार श्रेणी आँकड़े है। कृषि-परिवेश के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड की सरैया प्रखण्ड सारणी तथा संस्थागत संदर्भ के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति/जीविका के आधिकारिक कार्यक्रम अभिलेख उपयोग किए गए हैं। संलग्न कार्यपुस्तिका में स्रोत सत्यापन और आँकड़ा-अभाव अलग पत्रक में दर्ज हैं। अलग प्रतिवेदन अवधियाँ वाली सूचनाओं को एक समय-बिंदु का संयुक्त परिणाम नहीं माना गया है।

6.2 संकेतक और गणना

महिला साक्षरता दर की गणना सात वर्ष से अधिक आयु की महिला जनसंख्या पर महिला साक्षरों के अनुपात से की गई। कार्य भागीदारी दर कुल जनसंख्या में कुल कामगारों का प्रतिशत है। साक्षरता और कार्य भागीदारी दर लैंगिक अभाव पुरुष दर से महिला दर घटाकर प्रतिशत अंक में व्यक्त किए गए। महिला मुख्य और सीमांत कामगार हिस्से उनके संबंधित संख्याएँ को महिला कुल कामगार से विभाजित कर निकाले गए। महिला कृषि कामगार में कृषक और कृषि श्रमिक का योग शामिल है। कृषि हिस्सा को महिला कृषि कामगार और महिला कुल कामगार के अनुपात से मापा गया। सभी व्युत्पन्न मान संलग्न कार्यपुस्तिका में सूत्र-संबद्ध हैं।

6.3 विश्लेषण और नैतिक सावधानियाँ

विश्लेषण में आवृत्तियाँ, प्रतिशत, अनुपात, लैंगिक अंतर तुलना और व्यावसायिक संरचना का उपयोग हुआ है। अध्ययन कारणात्मक निष्कर्ष नहीं करता। सिंचाई या फसल तीव्रता को महिला रोजगार का कारण नहीं कहा गया; इन्हें केवल कृषि श्रम-मांग के संदर्भ के रूप में पढ़ा गया है। कोई कृत्रिम आँकड़े, लुप्त मान पूर्ति या अनुमानित महिला जोत आँकड़ा तैयार नहीं किया गया। जनगणना "सीमांत कामगार" और कृषि जनगणना "सीमांत परिचालन जोत" को स्पष्ट रूप से अलग रखा गया है। सार्वजनिक स्रोतों में सरैया स्तर पर महिला परिचालक × जोत आकार परस्पर वर्गीकृत सारणी न मिलने के कारण शीर्षक की परिवार-जोत आकार की विशिष्टता को प्रत्यक्ष तुलना के स्थान पर संदर्भपरक विश्लेषण के रूप में सीमित किया गया है।

7. परिणाम और विश्लेषण

7.1 जनसांख्यिकीय, शैक्षिक और कार्य भागीदारी की स्थिति

तालिका 1. सरैया प्रखण्ड की जनसांख्यिकीय एवं लैंगिक रूपरेखा

सूचक	कुल	पुरुष	महिला	इकाई/टिप्पणी
परिवार	61,348	लागू नहीं	लागू नहीं	परिवार
जनसंख्या	331,651	174,162	157,489	व्यक्ति
लिंगानुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	904.24	प्रति 1,000 पुरुष
साक्षरता दर (7+)	लागू नहीं	73.81%	55.03%	प्रतिशत
साक्षरता लैंगिक अंतर	लागू नहीं	लागू नहीं	18.78	प्रतिशत अंक
कार्य भागीदारी दर	लागू नहीं	47.41%	15.21%	प्रतिशत
कार्य भागीदारी लैंगिक अंतर	लागू नहीं	लागू नहीं	32.19	प्रतिशत अंक
कुल कामगार	106,528	82,567	23,961	व्यक्ति
गैर-कामगार	225,123	91,595	133,528	व्यक्ति

स्रोत: भारत की जनगणना 2011; व्युत्पन्न प्रतिशत संलग्न कार्यपुस्तिका के जनगणना संख्याओं से गणना किए गए हैं।

तालिका 1 के अनुसार कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है और लिंगानुपात लगभग 904 है। शिक्षा में महिला साक्षरता 55.03 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता 73.81 प्रतिशत है। 18.78 प्रतिशत अंक का अंतर महिला की सूचना, औपचारिक अभिलेखन, अंकीय सेवाएँ और कृषि प्रसार तक पहुँच में संभावित बाधा का संकेत देता है। साक्षरता को स्वायत्तता का पूर्ण माप नहीं माना जा सकता, फिर भी यह योजनाओं की जानकारी, बैंकिंग प्रक्रियाओं, उत्पादन-सामग्री विवरण और बाजार सूचना तक पहुँच के लिए आधारभूत क्षमता है।

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

आरेख 1. पुरुष–महिला साक्षरता एवं कार्य भागीदारी दर की तुलना (%)

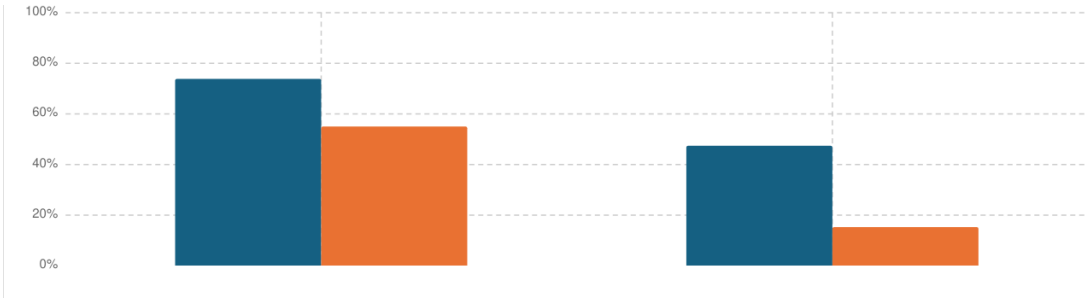

संकेत: नीला रंग पुरुषों तथा नारंगी रंग महिलाओं को दर्शाता है। पहला समूह साक्षरता दर और दूसरा समूह कार्य भागीदारी दर प्रदर्शित करता है।

आरेख 1 में कार्य भागीदारी का अंतर शिक्षा के अंतर से अधिक दिखाई देता है। पुरुष कार्य भागीदारी दर 47.41 प्रतिशत और महिला कार्य भागीदारी दर 15.21 प्रतिशत है; अंतर 32.19 प्रतिशत अंक है। यह परिणाम दर्ज आर्थिक कार्य में महिला की कम दृश्यता दर्शाता है। घरेलू और अवैतनिक कृषि कार्य की संभावित अल्प अभिलेखन को ध्यान में रखते हुए इसे "महिलाएँ कार्य नहीं करतीं" के रूप में पढ़ना उचित नहीं होगा। बल्कि यह प्रश्न उठता है कि किन गतिविधियों को आर्थिक कार्य माना और दर्ज किया जाता है तथा महिलाओं की उत्पादक भूमिका को किस सीमा तक औपचारिक मान्यता मिलती है।

7.2 महिला कामगारों की कार्य-अवधि

सरैया में कुल महिला कामगार 23,961 हैं। इनमें 8,917 मुख्य कामगार और 15,044 सीमांत कामगार हैं। प्रतिशत रूप में मुख्य कामगारों का हिस्सा 37.21 और सीमांत कामगारों का 62.79 है। यह संरचना बताती है कि दर्ज महिला रोजगार का बड़ा भाग छह माह से कम अवधि की श्रेणी में है। मौसमी कृषि कार्य, अनियमित मजदूरी अवसर और पारिवारिक श्रम की मांग इसके संभावित संदर्भ हो सकते हैं; उपलब्ध आँकड़े इनके अलग-अलग कारणों की पहचान नहीं करता।

आरेख 2. महिला कामगारों में मुख्य बनाम सीमांत कार्य-अवधि

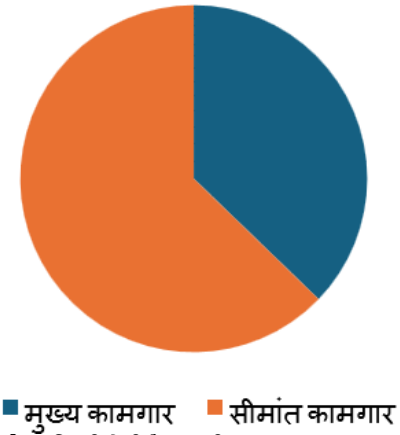

टिप्पणी: जनगणना "सीमांत कामगार" कार्य-अवधि की श्रेणी है; यह सीमांत कृषक अथवा एक हेक्टेयर से कम जोत का पर्याय नहीं है।

कार्य-अवधि की अनिश्चितता आय की नियमितता, सामाजिक सुरक्षा और परिवार में आर्थिक सौदेबाजी स्थिति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि सीमांत कामगार हिस्सा से आय, मजदूरी दर या काम के वास्तविक दिनों की जानकारी नहीं मिलती। इसलिए निष्कर्ष को अल्पावधि दर्ज कार्य तक सीमित रखा गया है। आगे के परिवार सर्वेक्षण में महिला के पऐद और अवैतनिक कार्य दिन, मौसमीपन, मजदूरी दर, मनरेगा भागीदारी, फसल पंचांग और देखभाल भार को अलग से दर्ज करना आवश्यक होगा।

7.3 कृषि में महिला की व्यावसायिक स्थिति

तालिका 2. महिलाओं की कार्य एवं कृषि-व्यावसायिक स्थिति

सूचक	संख्या	प्रतिशत	आधार	टिप्पणी
महिला कुल कामगार	23,961	100.00%	जनगणना 2011	मुख्य + सीमांत
महिला मुख्य कामगार	8,917	37.21%	महिला कुल कामगार	6 माह या अधिक
महिला सीमांत कामगार	15,044	62.79%	महिला कुल कामगार	6 माह से कम

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

महिला कृषक	3,788	21.88%	महिला कृषि कामगार	जोत-आकार नहीं
महिला कृषि श्रमिक	13,525	78.12%	महिला कृषि कामगार	मजदूरी श्रेणी
महिला कृषि कामगार कुल	17,313	100.00%	कृषक + कृषि श्रमिक	कुल कृषि कार्य
महिला कामगारों में कृषि	17,313	72.25%	महिला कुल कामगार	क्षेत्रीय निर्भरता
सभी कृषकों में महिला हिस्सा	लागू नहीं	16.82%	सभी कृषक	प्रतिनिधित्व
सभी कृषि श्रमिकों में महिला हिस्सा	लागू नहीं	23.91%	सभी कृषि श्रमिक	प्रतिनिधित्व

स्रोत: भारत की जनगणना 2011 से गणना। "महिला कृषक" व्यावसायिक श्रेणी है; इसे भूमि स्वामित्व या जोत आकार न माना जाए।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि 17,313 महिला कामगार सीधे कृषक या कृषि श्रमिक श्रेणी में हैं। यह कुल महिला कामगारों का 72.25 प्रतिशत है। कृषि के भीतर 3,788 महिलाएँ कृषक और 13,525 कृषि श्रमिक के रूप में दर्ज हैं। इस प्रकार महिला कृषि कामगार में कृषक हिस्सा 21.88 प्रतिशत और कृषि-श्रम हिस्सा 78.12 प्रतिशत है। यह अंतर स्थानीय महिला श्रम की मजदूरी श्रम अभिमुखीकरण को रेखांकित करता है, किंतु इससे व्यक्तिगत भूमिहीनता या स्वामित्व का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

आरेख 3. महिला कृषि कामगारों की संरचना

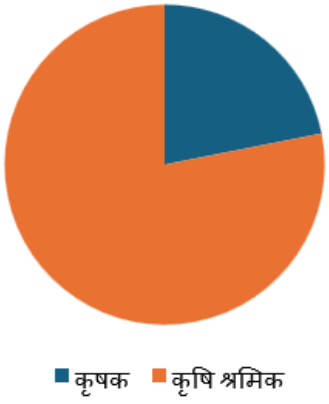

कृषि श्रमिक की अधिक हिस्सेदारी महिला के लिए रोजगार की उपलब्धता के साथ असुरक्षा का संकेत भी हो सकती है। मजदूरी कार्य में आय फसल मौसम, स्थानीय मजदूरी, मौसम और श्रम की माँग पर निर्भर होती है। कृषक स्थिति भी स्वतः संसाधन नियंत्रण नहीं दिखाता, क्योंकि परिचालन निर्णय और भूमि शीर्षक परिवार के अन्य सदस्य के पास हो सकते हैं। साहू एवं अन्य (2024) ने कृषि निर्णय-निर्माण के लैंगिक आयामों को मापने की आवश्यकता दिखाई। अतः सरैया के लिए अगले चरण का सर्वेक्षण में फसल चयन, उत्पादन-सामग्री क्रय, उपज विक्रय, आय उसए और ऋण निर्णय में महिला की वास्तविक भूमिका दर्ज होनी चाहिए।

7.4 महिला कार्यबल की व्यापक व्यावसायिक संरचना

महिला कामगारों के व्यापक व्यावसायिक वितरण में कृषि कामगार 17,313, घरेलू उद्योग कामगार 2,012 और अन्य कामगार 4,636 हैं। ये तीनों मिलकर 23,961 महिला कामगारों का पूरा वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं; अतः आरेख में कोई कृत्रिम या अवशिष्ट श्रेणी नहीं जोड़ी गई है। कृषि का प्रधानता स्थानीय आजीविका विविधीकरण की सीमित दृश्यता बताता है। घरेलू उद्योग और अन्य कार्य का संयुक्त हिस्सा कृषि से काफी कम है।

आरेख 4. महिला कामगारों की व्यापक व्यावसायिक संरचना

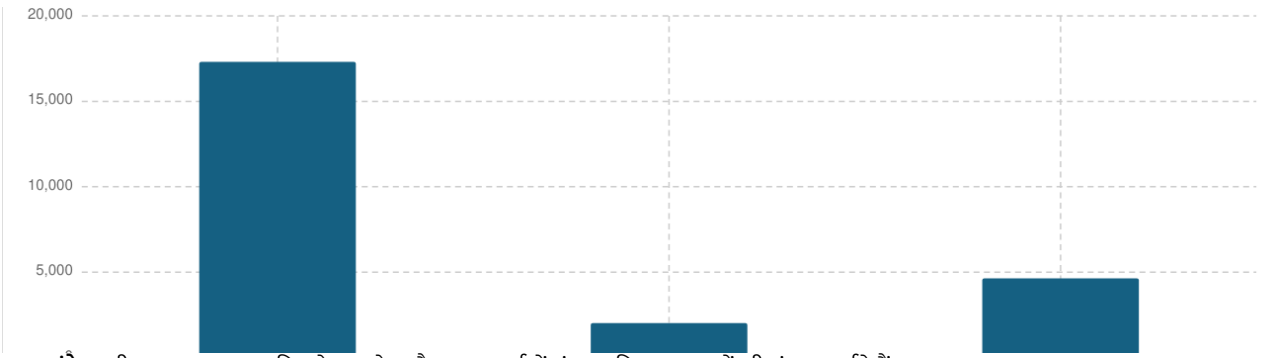

संकेत: तीन स्तम्भ क्रमशः कृषि, घरेलू उद्योग और अन्य कार्य में संलग्न महिला कामगारों की संख्या दर्शाते हैं।

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विविधीकरण महिला के लिए पूरे वर्ष आय, कौशल विकास और जोखिम-वितरण का माध्यम हो सकती है। इसके लिए केवल गैर-कृषि रोजगार सृजन पर्याप्त नहीं; सुरक्षित आवागमन, प्रशिक्षण, अंकीय साक्षरता, बाजार संपर्क, बाल देखभाल और परिवार की स्वीकृति भी प्रभाव डालते हैं। स्वयं सहायता समूह संजाल ऐसे अवसरों तक पहुँच का माध्यम बन सकते हैं, पर उपलब्ध प्रखण्ड-स्तरीय अभिलेख से आय वृद्धि या सशक्तिकरण प्रभाव को मापना संभव नहीं है।

7.5 कृषि-परिवेश और संस्थागत संदर्भ

तालिका 3. कृषि-परिवेश एवं महिला स्वयं सहायता समूह संस्थागत संदर्भ

सूचक	मान	इकाई	अवधि/वर्ष	अर्थ
शुद्ध बोया क्षेत्र	15,193	हेक्टेयर	केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रतिवेदन अवधि	कृषि भूमि आधार
फसल तीव्रता	159.18	%	केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रतिवेदन अवधि	बहुफसली संदर्भ
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	9,874.15	हेक्टेयर	केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रतिवेदन अवधि	सिंचित कृषि
प्रमुख मिट्टी	बलुई दोमट	मिट्टी का प्रकार	केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रतिवेदन अवधि	कृषि-पर्यावरण
दूध आपूर्ति से जुड़े स्वयं सहायता समूह सदस्य	177	सदस्य	अक्टूबर–दिसम्बर 2012	संस्थागत अवसर
औसत दूध आपूर्ति प्रतिदिन	195.7	लीटर प्रतिदिन	अक्टूबर–दिसम्बर 2012	डेयरी आजीविका
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना उपस्थिति	सम्मिलित	कार्यक्रम की उपस्थिति	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना दिशानिर्देश	महिला कृषक कार्यक्रम
लैंगिक संवेदनशीलता प्रायोगिक	प्रायोगिक कार्यक्रम संचालित	कार्यक्रम प्रमाण	2014; अभिलेखित 2019–20	अधिकार/निर्णय संदर्भ

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड सरैया प्रखण्ड प्रतिवेदन तथा जीविका आधिकारिक कार्यक्रम अभिलेख। अलग प्रतिवेदन अवधियाँ को एक वर्ष का संयुक्त परिणाम न माना जाए।

159.18 प्रतिशत फसल तीव्रता और सिंचित क्षेत्र की उपस्थिति कृषि कार्यों की मौसमी पुनरावृत्ति और श्रम माँग के लिए महत्त्वपूर्ण संदर्भ देती है। उपलब्ध आँकड़े महिला श्रम पर इनका कारणात्मक प्रभाव नहीं दिखाते। फिर भी बहुफसली व्यवस्था में रोपनी, निराई, कटाई, पशुपालन और कटाई-पश्चात कार्य की आवृत्ति महिला के पऐद तथा अवैतनिक कार्यभार से संबंधित हो सकती है। इसे सत्यापित करने के लिए लिंग-पृथक समय उपयोग और फसल-मौसम सर्वेक्षण आवश्यक है।

जीविका के अक्टूबर–दिसम्बर 2012 अभिलेख में दूध आपूर्ति गतिविधि से जुड़े 177 स्वयं सहायता समूह सदस्य और औसत 195.7 लीटर प्रतिदिन दूध आपूर्ति दर्ज है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की उपस्थिति तथा लैंगिक संवेदनशीलता प्रायोगिक सामूहिक सीख, पशुधन सहायता, कृषि प्रसार और पारिवारिक संवाद के संस्थागत अवसर दर्शाते हैं। पर लाभार्थी-स्तरीय आधाररेखा और तुलना आँकड़े के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि इन कार्यक्रमों ने आय या स्वायत्तता में कितना परिवर्तन किया। कार्यक्रम की उपस्थिति और कार्यक्रम का मापा हुआ प्रभाव दो अलग बातें हैं।

8. चर्चा

8.1 कम दर्ज भागीदारी और उच्च कृषि निर्भरता का संयुक्त अर्थ

सरैया के निष्कर्षों में सबसे महत्वपूर्ण विरोधाभास महिला कार्य भागीदारी दर की कमी और कामगार महिलाएँ की कृषि निर्भरता की अधिकता है। यह स्थिति बताती है कि आर्थिक भागीदारी का विस्तार और रोजगार का विविधीकरण दोनों आवश्यक हैं। यदि महिला कामगार मुख्यतः अल्पावधि कृषि कार्य में केंद्रित रहें, तो उनकी आय मौसम, फसल चक्र और स्थानीय श्रम माँग से अधिक प्रभावित हो सकती है। पटनायक एवं अन्य (2018) का कृषक संकट वाला दृष्टिकोण इस परिणाम की सावधान व्याख्या में उपयोगी है, किंतु सरैया आँकड़े कारण नहीं बताता। इसलिए संकट, चयन और पारिवारिक रणनीति के बीच अंतर प्राथमिक सर्वेक्षण से ही स्पष्ट होगा।

8.2 साक्षरता, सूचना और संस्थागत पहुँच

महिला साक्षरता का 18.78 प्रतिशत अंक अंतर केवल शैक्षिक परिणाम नहीं है। कृषि योजनाओं के प्रपत्र, ककक अभिलेखन, स्वयं सहायता समूह लेखा-रखाव, अंकीय भुगतान, मौसम परामर्श और बाजार सूचना में व्यावहारिक साक्षरता का महत्व है। साक्षरता में सुधार के साथ योजना साक्षरता और व्यावहारिक गणना क्षमता जोड़ना अधिक उपयोगी होगा। गुप्ता एवं अन्य (2017, 2019) के भारतीय संदर्भ वाले अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि बाजारोन्मुखता और संदर्भ-विशिष्ट मापन महिला स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रशिक्षण को सामान्य जागरूकता तक सीमित न रखकर स्थानीय फसलें, दुग्ध उत्पादन, लेखा और चलदूरभाष सेवाएँ से जोड़ना चाहिए।

8.3 कृषि श्रमिक प्रधानता और भूमि-अधिकार

महिला कृषि कामगार में 78.12 प्रतिशत कृषि श्रमिक होने का अर्थ यह है कि महिला कृषि श्रम का बड़ा हिस्सा कृषक श्रेणी के बाहर है। यह मजदूरी निर्भरता और सीमित कृषक मान्यता पर विमर्श का आधार देता है। फिर भी व्यावसायिक श्रेणी से भूमि अभिलेख, पट्टा या परिचालन जोत तय नहीं होते। राव (2006), केलकर अनद झा (2016), जैन एवं अन्य (2023) और अग्रवाल एवं महेश (2023) का साहित्य बताता है कि भूमि-अधिकार का महत्व सुरक्षा, उत्पादन निर्णय और सौदेबाजी क्षमता में है। सरैया के लिए लिंग-पृथक भूमि अभिलेख और परिचालन-जोत आँकड़े के बिना स्वामित्व दावा करना अनुचित होगा।

8.4 स्वयं सहायता समूह को आजीविका से स्वायत्तता तक जोड़ना

स्वयं सहायता समूह सदस्यता वित्तीय समावेशन और सामूहिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है, पर इसके प्रभाव स्वतः नहीं हैं। रघुनाथन एवं अन्य (2019) और कुमार एवं अन्य (2021) ने सामूहिक संरचना की संभावनाएँ दिखाईं; स्वेन अनद वालेंटिन (2017) ने क्रियान्वयन व्यवस्था और क्षेत्रीय भिन्नता का महत्व बताया। सरैया में

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

दुग्ध-संबद्ध स्वयं सहायता समूह गतिविधि को कृषि परिवार आजीविका विविधीकरण, पशु स्वास्थ्य सहायता और नियमित नकदी प्रवाह से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ उपज विपणन, उत्पादन-सामग्री क्रय, बैंक संपर्क और पारिवारिक निर्णय संकेतक का नियमित अनुवीक्षण आवश्यक होगा।

9. नीतिगत सुझाव

पहला, महिला कृषक की पहचान को केवल परिवार के पुरुष भूमि-स्वामी से न जोड़ा जाए। स्थानीय कृषि कार्यालय, राजस्व अभिलेख और स्वयं सहायता समूह आँकड़ा-भंडार में महिला परिचालक, संयुक्त स्वामित्व अभिलेख, पट्टा भागीदारी और फसल निर्णय की लिंग-पृथक अभिलेखन विकसित की जा सकती है। इससे सीमांत और लघु जोतें में महिला की वास्तविक स्थिति मापी जा सकेगी।

दूसरा, महिला साक्षरता और व्यावहारिक कृषि साक्षरता को एकीकृत कार्यक्रम के रूप में लिया जाए। चलदूरभाष संदेश पढ़ना, बैंक प्रपत्र, अंकीय भुगतान, उत्पादन-सामग्री विवरण, लागत-गणना और बाजार मूल्य समझना प्रशिक्षण का हिस्सा हों। ऐसे कार्यक्रमों को स्वयं सहायता समूह की बैठक, पंचायत स्तर और कृषि प्रसार से जोड़ा जा सकता है।

तीसरा, 62.79 प्रतिशत सीमांत कामगार हिस्सा को देखते हुए वर्षपर्यंत आजीविका नियोजन आवश्यक है। दुग्ध उत्पादन, कुक्कुटपालन, पौधशाला, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और स्थानीय सेवा गतिविधियाँ कृषि पंचांग के खाली समय में आय विकल्प दे सकती हैं। पर आजीविका चयन स्थानीय संसाधन, बाजार और महिला के समय-भार के अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए।

चौथा, कृषि श्रमिक महिलाओं के लिए मजदूरी पारदर्शिता, व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और कार्य-दिवस अभिलेखन पर ध्यान दिया जाए। केवल कौशल प्रशिक्षण तब पर्याप्त नहीं होगी जब गतिशीलता, बाल देखभाल या बाजार की बाधाएँ बनी रहें। पंचायत और स्वयं सहायता समूह स्तर पर महिला श्रमिकों की समस्याओं के लिए शिकायत एवं सूचना व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

पाँचवाँ, जीविका और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना गतिविधियाँ के परिणाम मूल्यांकन में केवल सदस्य संख्या या उत्पादन-सामग्री वितरण नहीं, बल्कि आय नियंत्रण, निर्णय भागीदारी, समय भार, बाजार पहुँच और परिवार संवाद जैसे संकेतक शामिल किए जाएँ। पद्मजा एवं अन्य (2023) और परियोजना-स्तरीय कृषि महिला सशक्तिकरण सूचकांक रूपरेखा ऐसे मूल्यांकन अभिकल्प के लिए उपयोगी आधार देते हैं।

10. अध्ययन की सीमाएँ और आगे का शोध

इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि सरैया प्रखण्ड के लिए महिला-संचालित सीमांत (<1 हेक्टेयर) और लघु (1–2 हेक्टेयर) जोतें का सत्यापित सार्वजनिक परस्पर वर्गीकृत सारणी उपलब्ध नहीं है। इसलिए शोध शीर्षक से जुड़े परिवार-आकार संदर्भ का प्रत्यक्ष सीमांत और लघु की तुलना प्रस्तुत नहीं करता। जनगणना कामगार आँकड़े से परिवार जोत आकार का अनुमान नहीं किया गया। यह सीमा निष्कर्ष को कमजोर करने के बजाय उसकी वैधता स्पष्ट करती है, क्योंकि अनुपलब्ध आँकड़ों की जगह अनुमान नहीं रखा गया है।

दूसरी सीमा अलग प्रतिवेदन अवधियाँ का उपयोग है। जनगणना आधाररेखा 2011 का है, जीविका दुग्ध उत्पादन प्रमाण 2012 और लैंगिक प्रायोगिक का बाद का संस्थागत अभिलेख है। इन्हें एक ही समय की स्थिति या प्रवृत्ति के रूप में नहीं पढ़ा गया। तीसरी सीमा द्वितीयक आँकड़े में मजदूरी, आय, अवैतनिक कार्य, समय उपयोग, गतिशीलता, ऋण पहुँच, हिंसा, पोषण और निर्णय-निर्माण चर का अभाव है।

भविष्य के प्राथमिक सर्वेक्षण में परिचालन जोत आकार, स्वामित्व/पट्टा, जाति, परिवार संरचना, प्रवास, फसल प्रतिरूप, महिलाओं के पऐद अनद अवैतनिक कार्य-दिवस, मजदूरी, स्वयं सहायता समूह सदस्यता, ककक/ऋण, उत्पादन-सामग्री क्रय, उपज विक्रय और आय उसए को शामिल करना चाहिए। नमूना को सीमांत और लघु कृषि परिवार में स्तरीकृत करना किया जाए तथा महिला उत्तरदाता से प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया जाए। मात्रात्मक प्रश्नावली के साथ समूह-केंद्रित विचार-विमर्श जोड़ने से स्वायत्तता और सामाजिक मानदंडों की बेहतर व्याख्या होगी।

11. निष्कर्ष

सरैया प्रखण्ड में महिलाओं की स्थिति कृषि पर उच्च निर्भरता, कम दर्ज कार्य भागीदारी, अल्पावधि कार्य की प्रधानता और कृषि श्रमिक के अधिक हिस्से से निर्मित होती है। महिला साक्षरता 55.03 प्रतिशत और कार्य भागीदारी दर 15.21 प्रतिशत है। कुल महिला कामगारों में 62.79 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा 72.25 प्रतिशत कृषि से जुड़े कामगार हैं। महिला कृषि कामगारों में 78.12 प्रतिशत कृषि श्रमिक होना मजदूरी-आधारित कृषि स्थिति की केंद्रीयता दिखाता है।

इन परिणामों का अर्थ यह नहीं कि सभी महिलाएँ भूमि-विहीन हैं या सभी सीमांत कामगार सीमांत कृषक हैं। उपलब्ध आँकड़ा-संग्रह ऐसी व्याख्या की अनुमति नहीं देता। महिला की स्थिति को बेहतर समझने और नीति बनाने के लिए लिंग-पृथक जोत आँकड़े, भूमि-अधिकार, निर्णय-क्षमता, आय नियंत्रण और समय उपयोग प्रमाण जरूरी है। शिक्षा, पहचान, भूमि दस्तावेज, कौशल, सामाजिक संरक्षण और स्वयं सहायता समूह-आधारित सामूहिक स्वायत्तता को साथ लेकर चलने वाली रणनीति अधिक प्रभावी होगी। इस शोध का प्रमुख योगदान स्थानीय आधिकारिक आँकड़ों को एक संगत लैंगिक दृष्टि में प्रस्तुत करना और प्रमाण तथा निष्कर्ष की सीमा को स्पष्ट बनाए रखना है।

संदर्भ सूची

1. अल्कायर एस, मीनज़ेन-डिक आर, पीटरमैन ए, क्विसम्बिंग एआर, सीमोर जी, वाज़ ए. कृषि में महिला सशक्तिकरण सूचकांक. विश्व विकास. 2013; 52:71-91. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.06.007.
2. मलापिट एचजेएल, क्विसम्बिंग एआर, मीनज़ेन-डिक आरएस, सीमोर जी, मार्टिनेज़ ईएम, हेकर्ट जे, एट अल. परियोजना-स्तरीय कृषि महिला सशक्तिकरण सूचकांक का विकास. विश्व विकास. 2019; 122:675-692. doi: 10.1016/j.worlddev.2019.06.018.
3. क्विसम्बिंग एआर, कोल एस, एलियास एम, फास एस, गैली ए, मलापिट एच, एट अल. कृषि में महिला सशक्तिकरण का मापन: नवाचार और प्रमाण. वैश्विक खाद्य सुरक्षा. 2023; 38:100707. doi: 10.1016/j.gfs.2023.100707.

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. गुप्ता एस, पिंगली पीएल, पिनस्ट्रप-एंडरसन पी. भारतीय कृषि में महिला सशक्तिकरण: क्या कृषि प्रणालियों की बाजारोन्मुखता महत्त्व रखती है? खाद्य सुरक्षा. 2017; 9:1447-1463. doi:10.1007/s12571-017-0737-4.
5. गुप्ता एस, वेमिरेड्डी वी, सिंह डी, पिंगली पी. कृषि महिला सशक्तिकरण सूचकांक का देश-विशिष्ट अनुकूलन: भारत के क्षेत्रकार्य से अंतर्दृष्टि और समीक्षा. वैश्विक खाद्य सुरक्षा. 2019; 23:245-255. doi: 10.1016/j.gfs.2019.09.002.
6. पटनायक आई, लाहिड़ी-दत्त के, लॉकी एस, प्रिचर्ड बी. कृषि का स्त्रीकरण अथवा कृषि-संकट का स्त्रीकरण? भारत में कृषि से जुड़ी महिलाओं की स्थिति का अनुशीलन. एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्था पत्रिका. 2018;23(1):138-155. doi:10.1080/13547860.2017.1394569.
7. पटनायक आई, लाहिड़ी-दत्त के. महिलाओं की कृषि भागीदारी किससे निर्धारित होती है? ग्रामीण भारत के भूमिधारक परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन. ग्रामीण अध्ययन पत्रिका. 2020; 76:25-39. doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.03.008.
8. राव एन. भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और पारिवारिक खाद्य सुरक्षा: भारत के संदर्भ में वैचारिक संबंध. खाद्य नीति. 2006;31(2):180-193. doi: 10.1016/j.foodpol.2005.10.006.
9. अरुण एस. क्या भूमि स्वामित्व से अंतर पड़ता है? केरल की कृषि में महिलाओं की भूमिका. लिंग एवं विकास. 1999;7(3):19-27. doi:10.1080/741923248.
10. केलकर जी, झा एसके. कृषि भूमि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्रियाशील सामर्थ्य. कृषक दक्षिण. 2016;5(1):98-122. doi:10.1177/2277976016658736.
11. जैन सी, सक्सेना डी, सेन एस, सनन डी. भारत में महिलाओं का भूमि स्वामित्व: अंकीय भूमि अभिलेखों से प्रमाण. भूमि उपयोग नीति. 2023; 133:106835. doi: 10.1016/j.landusepol.2023.106835.
12. दागदेवीरेन एच, ओस्टरबान एल. दक्षिण भारत में भूमि अधिकारों के प्रभावी उपयोग में लैंगिक अंतर. भूमि उपयोग नीति. 2022; 119:106212. doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106212.
13. अग्रवाल बी, महेश एम. क्या भूमि-स्वामी का लिंग स्वयं खेती और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है? भारत का विश्लेषण. विकास अध्ययन पत्रिका. 2023;59(5):758-777. doi:10.1080/00220388.2022.2162883.
14. हैरिस-फ्राई एच, कृष्णन एस, ब्यूमोंट ई, एट अल. भारत में भूमि स्वामित्व से महिला पोषण तक कृषि और सशक्तिकरण के मार्ग. मातृ एवं शिशु पोषण. 2020;16(4): e12995. doi:10.1111/mcn.12995.
15. साहू डी, मोहापात्रा डी, बेहरा जे. ग्रामीण ओडिशा में कृषि निर्णयों के माध्यम से सशक्तिकरण का लैंगिक सूक्ष्म-अर्थमितीय अध्ययन. विश्व सतत विकास. 2024; 4:100127. doi: 10.1016/j.wds.2024.100127.
16. रघुनाथन के, कन्नन एस, क्विसम्बिंग एआर. क्या महिला स्वयं सहायता समूह सूचना, निर्णय और कृषि व्यवहार तक पहुँच सुधार सकते हैं? भारतीय संदर्भ. कृषि अर्थशास्त्र. 2019;50(5):567-580. doi:10.1111/agec.12510.
17. कुमार एन, रघुनाथन के, अरिएटा ए, जिलानी ए, पांडेय एस. सामूहिकता की शक्ति महिलाओं को सशक्त बनाती है: भारतीय स्वयं सहायता समूहों से प्रमाण. विश्व विकास. 2021; 146:105579. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105579.
18. पद्मजा एसएस, श्रीनिवास एके, त्रिवेदी पी, श्रीनिवास के. महिला स्वयं सहायता समूह और कृषि में परिवार के भीतर निर्णय. सार्वजनिक एवं सहकारी अर्थशास्त्र वार्षिकी. 2023;94(3):857-876. doi:10.1111/apce.12442.
19. डी बोएफ डब्ल्यूएस, सिंह एस, त्रिवेदी पी, यादव केएस, मोहनन पीएस, कुमार एस, एट अल. उत्तर प्रदेश में बीज व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक पूँजी. वैश्विक खाद्य सुरक्षा. 2021; 29:100522. doi: 10.1016/j.gfs.2021.100522.
20. डीनिंगर के, लियू वाई. भारत के नवाचारी स्वयं सहायता समूह प्रतिमान के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव. विश्व विकास. 2013; 43:149-163. doi: 10.1016/j.worlddev.2012.09.019.
21. स्वेन आरबी, वालेंटिन एफवाई. क्या सूक्ष्म वित्त महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारतीय स्वयं सहायता समूहों से प्रमाण. अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र की अंतरराष्ट्रीय समीक्षा. 2009;23(5):541-556. doi:10.1080/02692170903007540.
22. स्वेन आरबी, वालेंटिन एफवाई. महिला सशक्तिकरण के कारकों पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव: भारतीय स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में क्षेत्रीय और क्रियान्वयन भिन्नताएँ. विकास अध्ययन पत्रिका. 2017;53(5):684-699. doi:10.1080/00220388.2016.1205732.
23. देशपांडे ए, खन्ना एस. क्या कमजोर संबंध सामाजिक पूँजी बना सकते हैं? ग्रामीण भारत के स्वयं सहायता समूहों से प्रमाण. विश्व विकास. 2021; 146:105534. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105534.
24. देसाई आरएम, जोशी एस. सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक विकास: ग्रामीण भारत के स्वयं सहायता समूहों से प्रमाण. विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा. 2014;28(3):492-524. doi:10.1093/wber/lht024.
25. डॉस सी, मीनज़ेन-डिक आर, क्विसम्बिंग ए, थीस एस. कृषि में महिलाएँ: चार मिथक. वैश्विक खाद्य सुरक्षा. 2018; 16:69-74. doi: 10.1016/j.gfs.2017.10.001.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

डॉ. भगवान राय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग से पूर्व शोधार्थी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गहन शोध कार्य किया है तथा शिक्षा एवं आर्थिक विषयों पर अपनी रुचि और अध्ययन से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे शोध और अकादमिक लेखन के प्रति समर्पित हैं।

© 2026 डॉ. भगवान राय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/